

आदेश संख्या 11/2025-26 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फा. सं. ऐरा /20010/एमवाईटीपी/आईओएसएलएनपीएल/ईंधन फार्म/एन.आई.ए-जेवर/सीपी-I/2025-26

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

Airports Economic Regulatory Authority of India

आदेश संख्या 11/2025-26

तृतीय तल,
उड़ान भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली – 110003
जारी करने की तारीख : 09.09.2025

सेवा	: प्यूल फार्म (एफएफ) सेवाएँ
सेवा प्रदाता	: आईओएसएल नोएडा प्राइवेट लिमिटेड (आईओएसएलएनपीएल)
हवाईअड्डा	: नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा (एनआईए), जेवर
हवाईअड्डा प्रचालक	: मैसर्स यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (वाईआईएपीएल),

विषय: आईओएसएल नोएडा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, जेवर में प्रदान की जाने वाली प्यूल फार्म सेवाओं के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी) से 31.03.2026 तक तदर्थ टैरिफ निर्धारित करने के मामले में।

आईओएसएल नोएडा प्राइवेट लिमिटेड की प्रस्तुति :

- ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी मैसर्स यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (वाईआईएपीएल), नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, जेवर को डिज़ाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) के आधार पर विकसित कर रही है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा है जिसे पहले चरण में प्रति वर्ष 12 मिलियन यात्रियों के संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है और आशा है कि 2025 की तीसरी तिमाही में यह चालू हो जाएगा।
- आईओएसएल नोएडा प्राइवेट लिमिटेड (आईओएसएलएनपीएल), इंडियन ऑयल स्काईटैकिंग प्राइवेट लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, आईओएसएलएनपीएल (ईंधन फार्म सुविधा की मालिक) और वाईआईएपीएल (हवाई अड्डा प्रचालक) के बीच 17 मार्च, 2022 को निष्पादित रियायत करार के अनुसार निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन, वित्त और हस्तांतरण (बीओओएफटी) के आधार पर ओपन एक्सेस मॉडल पर हाइड्रेट लाइनों सहित ईंधन फार्म सुविधा तैयार कर रही है।

3. आईओएसएलएनपीएल ने 3 जुलाई 2025 के पत्र के माध्यम से प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2025-26 से 2029-30) के लिए नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ईंधन फार्म (एफएफ) सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
4. आईओएसएलएनपीएल ने अपने एमवाईटीपी की प्रस्तुति में पहले ही मुख्य रूप से ईंधन फार्म सुविधा, हाइड्रेंट सिस्टम, वाहन आदि के निर्माण के लिए 194.81 करोड़ रुपये की राशि का पूंजीकरण कर लिया है और वित्त वर्ष 2025-26 (प्रथम नियंत्रण अवधि का पहला टैरिफ वर्ष) के दौरान संयंत्र और मशीनरी (ईंधन फार्म/हाइड्रेंट सिस्टम) आदि से संबंधित 43.03 करोड़ रुपये के और पूंजीकरण का प्रस्ताव दिया है।
5. नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर आईओएसएलएनपीएल द्वारा प्रस्तुत ईंधन श्रूपुट अनुमान निम्नानुसार है:-

वर्ष	कुल ईंधन श्रूपुट (किलो लीटर में)
2025-26	1,20,296
2026-27	2,08,902
2027-28	2,79,493
2028-29	3,51,868
2029-30	4,85,732

6. आईओएसएलएनपीएल ने दिनांक 03.07.2025 के अपने उपर्युक्त पत्र में प्राधिकरण से अनुरोध किया कि वह नीचे दी गई प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए नोएडा हवाईअड्डे पर ईंधन फार्म सेवाओं के संबंध में प्रस्तावित टैरिफ के लिए अनुमोदन प्रदान करें :

अवधि	ईंधन अवसंरचना शुल्क (एफ आई सी)
2025-26 to 2029-30	रुपये 1550/किलो लीटर

ईंधन फार्म सेवाओं के लिए टैरिफ के निर्धारण हेतु आईओएसएलएनपीएल के अनुरोध की प्राधिकरण द्वारा जांच

7. प्राधिकरण नोट करता है कि आईओएसएलएनपीएल को प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से तीस वर्ष की अवधि के लिए नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जेवर में ईंधन फार्म सुविधा और संबद्ध बुनियादी ढांचे के संबंध में निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन, वित्त और हस्तांतरण (बीओओएफटी) आधार पर रियायत प्रदान की गई है।
8. प्राधिकरण ने आगे कहा कि ईंधन फार्म सुविधा को सभी पात्र तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा प्रयोग के लिए 'ओपन एक्सेस' मॉडल के तहत स्थापित किया जा रहा है और विमानों को ईंधन की आपूर्ति हाइड्रेंट सिस्टम के साथ-साथ रिफ्यूलर्स द्वारा भी की जाएगी।
9. प्राधिकरण ने एनआईए, जेवर में प्रस्तावित ईंधन फार्म सुविधा के लिए विनियामक और सांविधिक अनुमोदन की स्थिति की जानकारी मांगी। इसके जवाब में, आईएसपी ने दिनांक 01.08.2025 की ईमेल द्वारा बताया कि संबंधित प्राधिकरणों से निम्नलिखित अनुमोदन प्राप्त कर लिए गए हैं:
 - एएआई से ऊँचाई की अनुमति के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी)
 - प्रचालन के लिए सहमति (उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

- विद्युत स्थापना के लिए ऊर्जाकरण हेतु सीईए अनुमोदन
- श्रमिक पंजीकरण
- टैंक अंशांकन प्रमाणपत्र (मेट्रोलॉजी विभाग)
- कारखाना लाइसेंस
- अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र
- पीईएसओ अनुमोदन
- संगठन के लिए बीसीएस का अनुमोदन

10. डीजीसीए के अनुमोदन के संबंध में, आईएसपी ने बताया कि सुविधाओं की तैयारी के संबंध में डीजीसीए को एक औपचारिक आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है। उत्पाद के नमूनों के परीक्षण के बाद डीजीसीए द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। डीजीसीए ने स्थल का प्रारंभिक निरीक्षण पहले ही कर लिया है।

11. प्राधिकरण नोट करता है कि आईओएसएलएनपीएल ने ईंधन फार्म सुविधा, हाइड्रेंट लाइनों आदि का निर्माण पूरा कर लिया है और इन सुविधाओं की लागत ₹194.81 करोड़ का पूंजीकरण कर लिया है। इसके अतिरिक्त, आईएसपी ने वित्त वर्ष 2025-26 (प्रथम नियंत्रण अवधि का प्रथम टैरिफ वर्ष) के दौरान संयंत्र एवं मशीनरी आदि पर ₹43.03 करोड़ का अतिरिक्त पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) प्रस्तावित किया है।

12. प्राधिकरण, प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2029-30) के लिए ईंधन फार्म सेवाओं [ईंधन अवसंरचना प्रभार (एफआईसी) के संबंध में टैरिफ निर्धारण हेतु आईओएसएलएनपीएल द्वारा प्रस्तुत टैरिफ प्रस्ताव की जाँच कर रहा है। आईएसपी के लिए टैरिफ निर्धारण के कार्य में कुछ समय लगेगा, क्योंकि टैरिफ निर्धारण के लिए ऐरा का विनियामक दृष्टिकोण व्यापक है, जिसमें विनियामक बिल्डिंग ब्लॉकों की समीक्षा और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स), परिचालन व्यय (ओपेक्स), यातायात मात्रा आदि से संबंधित विभिन्न अनुमानों/प्रक्षेपणों के संबंध में तर्कसंगतता/औचित्य का आकलन शामिल है। इसके आधार पर परामर्श पत्र जारी किया जाता है, उसके बाद हितधारकों के साथ परामर्श की प्रक्रिया शुरू होती है और हितधारकों की टिप्पणियों/विचारों तथा सेवा प्रदाता की जवाबी-टिप्पणियों पर विचार करने के बाद अंतिम टैरिफ आदेश जारी किया जाता है।

13. इस बीच, प्राधिकरण ने आईओएसएलएनपीएल द्वारा प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2029-30) के लिए प्रस्तुत एमवाईटीपी की प्रारंभिक जाँच की है और आईएसपी द्वारा प्रस्तुत टैरिफ प्रस्ताव पर सरसरी नज़र डालने से पता चलता है कि प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए ईंधन अवसंरचना प्रभारों के लिए नियमित टैरिफ अस्थायी रूप से ₹1500/किलोलीटर से ₹1800/किलोलीटर के बीच है। जबकि, आईएसपी ने नोएडा हवाईअड्डे पर अपनी प्रस्तावित ईंधन फार्म सेवाओं के लिए तदर्थ आधार पर ₹1550/किलोलीटर का एफआईसी प्रस्तावित किया है।

14. 17.03.2022 (अनुसूची ई) को हस्ताक्षरित रियायत करार में एफआईसी की दर ₹1135/किलोलीटर निर्धारित की गई है। परंतु, आईओएसएलएनपीएल ने मुद्रास्फीति, अतिरिक्त पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) आदि जैसे कारकों के लिए एमवाईटीपी में विभिन्न समायोजनों को ध्यान में रखने के बाद, प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए ₹1550/किलोलीटर के एफआईसी का प्रस्ताव रखा है।

15. उपरोक्त के मद्देनजर और आईओएसएलएनपीएल द्वारा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर शीघ्र ही प्रस्तावित वाणिज्यिक प्रचालनों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण एक अंतरिम उपाय के रूप में 1500 रुपये प्रति किलोलीटर के तदर्थ ईंधन अवसंरचना प्रभार (एफआईसी) को मानने का निर्णय लेता है। यह जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, नवी मुंबई, कन्नूर जैसे अन्य हवाईअड्डों पर इसी तरह की सुविधा के लिए लागू टैरिफ (ईंधन के पुनःपूर्ति प्रभार सहित) के बराबर है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर ईंधन फार्म सेवाओं के संबंध में अनुलग्नक-I के अनुसार आईएसपी के लिए प्राधिकरण द्वारा तय की गई तदर्थ टैरिफ सीओडी से 31.03.2026 तक या नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर आईएसपी द्वारा ईंधन फार्म सेवाओं के संबंध में नियमित टैरिफ के निर्धारण तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी।

16. इसके अलावा, यदि प्राधिकरण मौजूदा टैरिफ दिशानिर्देशों के आधार पर आईओएसएलएनपीएल, नोएडा के लिए "लागत प्लस" विनियामक दृष्टिकोण के तहत प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित करने का निर्णय लेता है, तो इस आदेश के अनुसार अंतरिम अवधि में तदर्थ आधार पर आईएसपी द्वारा एकत्रित राजस्व को भी प्राधिकरण द्वारा प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए ईंधन फार्म सुविधाओं के लिए नियमित टैरिफ के निर्धारण के लिए हिसाब में लिया जाएगा।

आदेश

रिकॉर्डों में उपलब्ध तात्त्विक सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात, प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(I)(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा आदेश देता है कि:

- i. आईओएसएलएनपीएल को वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी) से **30.03.2026** तक या प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए आईएसपी के लिए नियमित टैरिफ के निर्धारण तक, जो भी पहले हो, अनुलग्नक-I के अनुसार तदर्थ आधार पर ईंधन अवसंरचना प्रभार (एफआईसी) लगाने और एकत्र करने की अनुमति दी जाती है।
- ii. यह आदेश नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, जेवर में प्रस्तावित ईंधन फार्म सेवाओं के प्रारंभ होने से पहले आईओएसएलएनपीएल द्वारा सभी अपेक्षित विनियामक और सांविधिक अनुमोदन प्राप्त होने की शर्त पर प्रभावी होगा।
- iii. इसमें निर्धारित टैरिफ वह अधिकतम शुल्क है जो प्रयोक्ताओं पर लगाया जा सकता है और अनुमोदित टैरिफ के अतिरिक्त कोई अन्य प्रभार नहीं लगाया जाएगा।
- iv. ऊपर बताए अनुसार अनुमोदित टैरिफ में सभी लागू सरकारी कर, यदि कोई हों, शामिल नहीं हैं।
- v. हवाई अड्डा प्रचालक सभी हितधारकों की जानकारी के लिए नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, जेवर में ईंधन फार्म सुविधा के संबंध में आईओएसएलएनपीएल के लिए अनुमोदित टैरिफ को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।
- vi. हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(सुयश नारायण)

सचिव

सेवामें,

श्री बिपिन वानखेड़े
मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ)
इंडियन ऑयल स्काईटेंकिंग प्राइवेट लिमिटेड
देवनहल्ली, बैंगलोर-560300

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

- 1 सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, 'बी ब्लॉक', सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली-110003
- 2 श्री क्रिस्टोफ श्रेलमैन, सीईओ, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, जेवरा।

नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जेवर पर मेसर्स आईओएसएल नोएडा प्राइवेट लिमिटेड
(आईओएसएलएनपीएल) के लिए ईंधन फार्म सेवाओं हेतु अनुमोदित तदर्थ टैरिफ।

तदर्थ टैरिफ सीओडी से 30.03.2026 तक लागू है।

<u>वित्त वर्ष</u>	ईंधन अवसंरचना प्रभार (एफ आई सी)
2025-26	रुपये 1500/किलो लीटर

टिप्पणी : ऊपर अनुमोदित दरें अधिकतम दरें हैं, जिनमें सभी लागू सरकारी कर, यदि कोई हों, शामिल नहीं हैं।